

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

**कार्यालय आदेश**

का0आ0सं0:- 385722 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 24/08/18  
ग्रा0वि0-3/स्था0-18-06/17

ग्रामीण विकास विभाग के निम्नलिखित महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) को जिला के रिक्त प्रखंड में मूल पद अर्थात् महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के पद पर पदस्थापन हेतु तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित जिला आवंटित किया जाता है। संबंधित जिला पदाधिकारी क्रम संख्या-1 से 6 में अंकित पदाधिकारियों को अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उनके मूल पद पर पदस्थापन कर कार्यहित में उनके अपने ही वेतनमान में जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त करेंगे तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपेगे एवं क्रम संख्या-7 पर अंकित पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित प्रखंड में पदस्थापित करते हुए कार्यहित में उनके अपने ही वेतनमान में जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त करेंगे तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपेगे :-


क्र. सं.	ID NO.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापित जिला	APO का प्रभार
1	2	3	4	5	6	7
1.	RDD/001082	श्री अरविन्द कुमार सिंह	भोजपुर	प्र.वि.पदा., अरवल (अरवल)	औरंगाबाद	APO का प्रभार
2.	RDD/001138	श्री विनय कुमार	पटना	प्र.वि.पदा., हवेलीखड़गपुर (मुंगेर)	जहनाबाद	APO का प्रभार
3.	RDD/001044	श्री अरूण कुमार सिंह	समस्तीपुर	प्र.वि.पदा., बेलसंड (सीतामढी)	मधुबनी	APO का प्रभार
4.	RDD/000305	श्रीमती कामिनी देवी	मधुबनी	प्र.वि.पदा., सोनबरसा (सीतामढी)	सहरसा	APO का प्रभार
5.	RDD/000857	श्रीमती दीना मुर्मु	भागलपुर	प्र.वि.पदा., शंभुगंज, बांका	बांका	APO का प्रभार
6.	RDD/000955	मो0 रैसुद्दीन	पंचम्पारण	प्र.वि.पदा., पुरनहिया, शिवहर	पश्चिम चम्पारण	APO का प्रभार
7.	RDD/001147	श्रीमती सैयदा नुजहत मंजूर	भागलपुर	प्र.वि.पदा., फुल्लीडुमर, बांका	प्रखंड-शाहकुण्ड (भागलपुर)	APO का प्रभार

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. नव पदस्थापित सभी पदाधिकारी अविलंब संबंधित जिला में योगदान करेंगे तथा जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ रिक्त प्रखंड में एक सप्ताह के अन्दर इनका पदस्थापन कर विभाग को संसूचित करेंगे ।

4. प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इस अतिरिक्त प्रभार के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और न ही इनका किसी प्रकार का एतदर्थ दावा मान्य होगा । सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी व्यवस्था को विभाग के अगले आदेश से किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी ।

5. नव पदस्थापित पदाधिकारी के वेतनादि (बकाया सहित) का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से किया जायेगा ।

  
(राधा किशोर झा)


सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 385722

दिनांक:- 24/08/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-18-06/17

प्रतिलिपि- संबंधित सभी जिला पदाधिकारी / संबंधित सभी उप विकास आयुक्त / संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / संबंधित सभी नव पदस्थापित पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6 एवं 14, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 385722

दिनांक:- 24/08/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव